म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 166 दिनांक 21/7/25

कमांक......./म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका–1/2024–25

//आदेश//

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित की गई निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 194 वीं बैठक दिनांक 23/12/2024 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में श्री सत्य सांई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2024–25 से तालिका में दर्शित सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की सशर्त एवं प्रावधिक कार्योत्तर अनुमति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

क्र.	विभाग का नाम	संकाय	पाठ्यक्रम का नाम	वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रम में सीट संख्या	प्रस्तावित नवीन/वृद्धि सीट संख्या	स्वीकृत कुल सीट संख्या	संबंधित विनियामक परिषद का आदेश तथा दिनांक	प्रकाशित अध्यादेश क्रमांक
1	School of Medical Sciences	School of Medical Sciences	MBBS	–	100	100	NMC No-22011/104/2024 AssessmentCell/ MARB(8279862) Date- 03.10.2024	45

शर्त :–

1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबधित विनियामक परिषदों के मापदंडों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबधित विनियामक परिषदों के मापण्दडों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति एवं अन्य मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
3. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबन्धित विनियामक परिषदों के मापदंडो के अनुसार दिये जायेगें।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन/मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

5. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्याकन अनिवार्यतः कराना होगा।

7. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से ग्रेडिंग/मूल्याकंन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठयक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रेंकिंग संस्था/ऐजेंसियो के मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।

8. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्याथियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।

Anjali

निरंतर..........2

9. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

(सुनील खरे)
प्रबंधंक, वित्त एवं प्रशासन
म०प्र०नि०वि०वि०वि०आयोग, भोपाल

पृष्ठांकन............../ म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका–1/2024–25 दिनांक /01/2025

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल।
2. कुलसचिव, श्री सत्य साांई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ती।

प्रबंधंक, वित्त एवं प्रशासन
म०प्र०नि०वि०वि०वि०आयोग, भोपाल